संख्या–1299/III(2)/20–70(एम0एल0ए0)/2017 [illegible]

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 14 [illegible] 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र–खटीमा के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत खटीमा–छिनकी–झनकट मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से आगे बगियाघाट के मध्य चैनेज 6.400 तक मार्ग का सुधारीकरण का कार्य हेतु प्रथम [illegible] की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी कुल लम्बाई [illegible]40 कि0मी0 एवं लागत ₹ 0.84 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 0.84 लाख (₹ चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर [illegible] श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध [illegible] किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 [illegible] की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की [illegible] विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ [illegible] जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की [illegible] नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक [illegible] कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है [illegible] समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए [illegible] निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय [illegible] सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, [illegible] दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 एवं [illegible] समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त [illegible] मैनुअल के निर्देशो का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006) [illegible] 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय [illegible] अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि [illegible] सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं [illegible] परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सडक निर्माण कार्य–04–सड़क/भवन/पुल आदि [illegible]

अधिग्रहण–00 –53 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183 / XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S20070220011 दिनांक 13 जुलाई, 2020 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–0302 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–53 वृहत निर्माण कार्य (5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–139 / XXVII(2)/2020 दिनांक 09 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव

संख्या– / III(2) / 20–70(एम0एल0ए0) / 2017 टी.सी.– III तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
6. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून / ऊधमसिंहनगर।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1299/II(2)-70(MLA)/17TCIII

अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20070220011

आवंटन पत्र दिनांक-13-JUL-2020

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

337-सडक निर्माण कार्य

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	140000	10000	0	150000
योग	140000	10000	0	150000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: eicpwduk@nic.in

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पृष्ठांकन पत्र संख्या 520/20 याता0'क' /2020 दिनांक-22 .07.2020

प्रतिलिपिः- प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।
3. अधिशासी अभिन्यता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
4. अधि0अभि0 आई0टी0 विभागाध्यक्ष कार्यालय को अपलोड हेतु।
5. बजट/ S.E (T) को हेतु।

22/7/20

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

लो.नि.वि., देहरादून